न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 बिदिशा

उर्मिला आचार्य पत्नी महेन्द्र आचार्य,
निवासी–बजरिया, जयस्तम्भ के पास, बिदिशा
....आवेदिका

विरूद्ध

1. श्रीमती ऊषा दुबे पत्नी लखन लाल दुबे,
पुत्री स्व. श्री विष्णुशंकर आचार्य,
निवासी– शेरपुरा, बिदिशा
2. गणेश शंकर पुत्र स्व.विष्णु शंकर आचार्य,
3 सुरेन्द्र पुत्र स्व.विष्णु शंकर आचार्य,
4 अरविन्द पुत्र शिवदयाल चतुर्वेदी
5 राजेश पुत्र शिवदयाल चतुर्वेदी
6 आलोक पुत्र शिवदयाल चतुर्वेदी
7 सुषमा पुत्री शिवदयाल चतुर्वेदी
8 सविता पुत्री शिवदयाल चतुर्वेदी
सभी निवासी–मास्टर कालोनी, विदिशा
9 महेन्द्र पुत्र विष्णुशंकर आचार्य
10 आनंद पुत्र रविशंकर
11 स्वाती पुत्री रविशंकर
सभी निवासी– निवासी–बजरिया, जयस्तम्भ के पास, बिदिशा
..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश तहसीलदार विदिशा प्र.क्र. 42/अ–27//2011–12 ऊषा दुबे बनाम गणेश शंकर आदि आदेश दिनांक 24.04.2013 को पारित।

माननीय न्यायालय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1873–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, विदिशा के प्रकरण कमांक 42/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24–4–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक की आपत्तियों के संबंध में यह लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के अपील आदेश के आधार पर आपत्तियों का स्वमेव निराकरण हो चुका है और उन्होंने प्रकरण साक्ष्य एवं पटवारी प्रतिवेदन हेतु नियत किया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश में तहसीलदार ने यह उल्लेख किया है कि उनके समक्ष उठाई गई आपत्तियों का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्वमेव हो चुका है और उक्त कारण से उन्होंने प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत किया हे साथ ही उन्होंने पटवारी को स्वत्व व आधिपत्य के मान से फर्द बटवारा पेश करने के निर्देश दिए हैं । किंतु अनुविभागीय अधिकारी का कौनसा आदेश है ना तो इसका कोई उल्लेख किया है और ना ही आपत्तियों के संबंध में उल्लेख किया गया	

R. 1873:PBR/13 (विविध)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है । ऐसी स्थिति में उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक की आपत्तियों के संबंध में बोलता हुआ आदेश दोनों पक्षों को सुनकर पारित करें और तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	